



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीदजीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016

दूरभाष /Tel-26858570, फैक्स/FAX-26514179, वेबसाइट www.kvsangathan.nic.in

F. 11055-1/2016-KVS(HQ)/RPS/LDE-Teaching/Pt.F./PGT/4240-73 दिनांक: 11-06-2019.

12

उपायुक्त,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय।

MOST URGENT

विषय: सक्षम अधिकारी द्वारा सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा (LDCE)-2018 के द्वारा TGT (Sanskrit) से PGT (Sanskrit) के पदों पर रिक्ति वर्ष 2014-15 से 2018 तक के लिए पदोन्नति हेतु की अधिसूचना (Notification) दिनांकित 09-04-2018 के तारतम्य में वर्ष व श्रेणी वार चयन हेतु शैक्षणिक पात्रता केवल M.A. (Hindi) निर्धारित कर अनुमोदन किए जाने के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

उक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के संसंख्यक LDCE-2018 की अधिसूचना दिनांकित 09-04-2018 का संदर्भ लें तथा अवगत हों कि एलडीसीई-2018 के द्वारा TGT(Sanskrit) के पद से PGT (Hindi) के पद पर पदोन्नति के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्न प्रकार से व्यक्त की गई थी:

Sanskrit
“TGT(Sanskrit): Post Graduation M.Sc. Course of Regional College of Education of NCERT OR Master's Degree in Hindi with HINDI as one of the subject at Graduation level with B.Ed. Degree or equivalent.”

जिसके कारण सीधी भर्ती व LDCE द्वारा पदोन्नतियों में विभेदात्मकता को लेकर LDCE-2018 में उत्तीर्ण TGT (Sanskrit) अभ्यर्थियों को PGT (Hindi) के पद पर पदोन्नति को लेकर तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था।

अतः सूचित किया जाता है कि LDCE द्वारा TGT (Sanskrit) अभ्यर्थियों को PGT (Hindi) के पद पर पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी द्वारा मात्र हिन्दी में स्नातकोत्तर (i.e. M.A.Hindi) उत्तीर्ण होना ही प्रयाप्त है।

निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ विद्यालयों को भली-भांति स्पष्ट करें कि LDCE-2018 द्वारा PGT (Hindi) के पद पर पदोन्नति हेतु TGT (Sanskrit) पद के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच उक्त उल्लेखित अनुमोदन के अनुसार ही की जानी है।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

वि. विजयलक्ष्मी
भवदीया,
(डा. श्रीमती वी. विजयलक्ष्मी)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

सूचनार्थ व आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि:

- 1) निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (समस्त ZIETs)।
- 2) सहायक आयुक्त (स्थापना-2 & 3), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली-16 : विदेश में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों को भी सूचित करने के अनुरोध के साथ।
- 3) सहायक आयुक्त (प्रशासन- L&सी), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली-16।

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)